

राजस्थान सरकार कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. ७(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16.3. १०१3

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. संशोधन.- (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के उप-नियम (3),(4) या, यथास्थिति, (5) के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्रहता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

-27

- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायूगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्निति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर. उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंत् कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंत् वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेत्, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगाः"

अनुसूची

| क्र.सं. | सेवा नियमों का नाम | विद्यमान | विद्यमान नियम का |
|---------|---|-------------------|------------------------|
| फ्र.स. | स्या विथमा या नान | E) 52 No. 1/21 35 | Se Man and September 1 |
| | € | नियम का | संख्यांक |
| | | संख्यांक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 | 25ख | नियम 28ख का |
| | | | उप-नियम(४) |
| 2. | राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 | 25ग | नियम 28क का |
| | | | उप-नियम(४) |
| 3. | राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 | 25ख | नियम 28क का |
| | | | उप-नियम(४) |
| 4. | राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक | 21क | नियम २४क का |
| | सेवा नियम, 1954 | <u></u> | उप-नियम(४) |
| 5. | राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक | 21क | नियम २४क का |
| | शाखा) नियम, 1954 | | उप-नियम(४) |
| 6. | राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी | 21क | नियम २४क का |
| | सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 | | उप-नियम(4) |
| 7. | राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ | 21क | नियम २४क का |
| | शाखा) नियम, 1954 | | उप-नियम(४) |
| 8. | राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954 | 21क | नियम 24ख का |
| s | 8 | | उप-नियम(4) |
| 9. | राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 | - | नियम ११ख का |
| | | | उप-नियम(4) |
| 10 | राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958 | 20क | नियम २१कक का |
| | | | उप-नियम(4) |
| 11. | राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, | 20क | नियम 23क का |
| | 1958 | | उप-नियम(4) |
| | | | |

| 12. | राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, | 15ख | नियम २५क का |
|-----|--|-----|-------------|
| | 1958 | | उप-नियम(4) |
| 13. | राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और | 21क | नियम २३क का |
| | फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, | æ | उप-नियम(4) |
| | 1958 | | |
| 14. | राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959 | 20क | नियम 23क का |
| | | | उप-नियम(4) |
| 15. | राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि | 21क | नियम २४क का |
| | सेवा नियम, 1959 | | उप-नियम(4) |
| 16. | राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, | 21क | नियम २५क का |
| | 1960 | | उप-नियम(4) |
| 17. | राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, | 20क | नियम २४क का |
| | 1960 | | उप-नियम(4) |
| 18. | राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, | 20क | नियम २३क का |
| | 1960 | 1 | उप-नियम(4) |
| 19. | राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 | 22क | नियम २५क का |
| | | | उप-नियम(४) |
| 20. | राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960 | 20क | नियम २३क का |
| | | | उप-नियम(४) |
| 21. | राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा | 21क | नियम २४क का |
| | नियम, 1960 | | उप-नियम(4) |
| 22. | राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962 | 20 | नियम २३क का |
| | * | 8 | उप-नियम(४) |
| | | | 2 |
| 23. | राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय | 21 | नियम २४क का |
| | शाखा) नियम, 1962 | | उप-नियम(४) |
| 24. | राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 | 25क | नियम ३१क का |
| | N | | उप-नियम(4) |
| | | | |

| 25. | राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम 23क का |
|-----|--|----------|----------------|
| | | | उप-नियम(४) |
| 26. | राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम २४क का |
| | | 1 | उप-नियम(४) |
| 27. | राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा | 21 | नियम २४क का |
| | नियम, 1963 | | उप-नियम(४) |
| 28. | राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम २५ का उप- |
| | | | नियम(4) |
| 29. | राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप- |
| | * | • | नियम(4) |
| 30. | राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा | 21 | नियम 25 का उप- |
| | नियम, 1967 | | नियम(4) |
| 31. | राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा | H | नियम 17 का उप- |
| | नियम, 1967 | | नियम(4) |
| 32. | राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद | 21 | नियम 25 का उप- |
| | (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968 | | नियम(4) |
| 33. | राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 | 21 | नियम 25 का उप- |
| | | | नियम(4) |
| 34. | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 | 15क | नियम 18 का उप- |
| | | | नियम(4) |
| 35. | राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ. एवं | 21 | नियम 25 का उप- |
| | स.) नियम, 1973 | | नियम(4) |
| 36. | राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और | 21 | नियम 25 का उप- |
| | प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 | | नियम(4) |
| 37. | राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) | | नियम ११क का |
| | नियम, 1974 | | उप-नियम(4) |
| | | | |
| | | | |

| | 38. | राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, | 21 | नियम २४क का |
|----|-----|---|----|----------------|
| | × | 1975 | | उप-नियम(4) |
| | 39. | राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975 | 21 | नियम २४क का |
| s | | | | उप-नियम(4) |
| o. | 40. | राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत | 21 | नियम २४क का |
| | | निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975 | | उप-नियम(4) |
| | 41. | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 21 | नियम २३क का |
| | | नियम, 1976 | | उप-नियम(4) |
| | 42. | राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 | 21 | नियम २३क का |
| | | | | उप-नियम(४) |
| | 43. | राजस्थान होमगाई एवं नागरिक सुरक्षा सेवा | 21 | नियम 23क का |
| | | नियम, 1976 | | उप-नियम(४) |
| | 44. | राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 | - | नियम ९ का उप- |
| | ži. | | | नियम(4) |
| | 45. | राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम २४ का उप- |
| | | | | नियम(४) |
| | 46. | राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, | 22 | नियम २४ का उप- |
| | | 1979 | ř. | नियम(४) |
| | 47. | राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम २४ का उप- |
| | | | | नियम(4) |
| | 48. | राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम २४ का उप- |
| | * | | | नियम(4) |
| | | | | 8 |
| | 49. | राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक | ·- | नियम ९ का उप- |
| | | प्रशिक्षण सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, | | नियम(4) |
| | 50. | 1980 राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980 | 22 | नियम ३४ व्य |
| | 50. | राजर नाम जिला मजाट्यस सपा नियम, 1980 | 22 | नियम २४ का उप- |
| | | 201 | | नियम(4) |
| | | . 1 | | |

| | The state of the s | | |
|-----|--|----|------------------|
| 51. | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, | 22 | नियम २४ का उप- |
| | 1986 | | नियम(4) |
| 52. | राजस्थान शिक्षा सेवा(महाविद्यालय शाखा) | 21 | नियम 26 का उप- |
| | नियम, 1986 | | नियम(1क) |
| 53. | राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा | = | नियम ९ का उप- |
| | नियम, 1990 | | नियम(4) |
| 54. | राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, | 24 | नियम २७ का उप- |
| | 2007 | | नियम(4) |
| 55. | राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, | 19 | 8=1 |
| | होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा | | |
| | नियम, 2008 | | |
| 56. | राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) | 26 | नियम २९ का उप |
| | सेवा नियम, 2010 | | नियम(4) |
| 57. | राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) | 25 | नियम 28 का उप |
| | सेवा नियम, 2010 | | नियम(4) |
| 58. | राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा | 26 | नियम 28 का उप |
| | नियम, 2013 | | नियम(4) |
| 59. | राजस्थान संस्कृत (महाविद्यालय शाखा) सेवा | 27 | नियम 33 का उप |
| | नियम, 2022 | | नियम(4) |
| 60. | राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा | 26 | नियम 28 का उप |
| | नियम,1981 | | नियम(4) |
| 61. | राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ | 26 | नियम 28 का उप |
| | सेवा नियम, 1981 | | नियम(4) |
| 62. | राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ | 27 | नियम ३० का उप |
| | सेवा नियम, 1992 | | नियम(4) |
| | 777977 10 11 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 23 | नियम २६ का उप |
| 63. | राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य | 23 | 101401 20 411 31 |

| | | | _ |
|-----|---|----|--|
| 64. | राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज | 25 | नियम 28 का उप- |
| • | राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,1998 | | नियम(4) |
| | | | |
| 65. | राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं | 25 | नियम २८ का उप- |
| 05. | अधीनस्थ) सेवा नियम,1998 | 23 | and the second s |
| | | | नियम(4) |
| 66. | राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा | 25 | नियम 28 का उप- |
| | नियम,2000 | | नियम(4) |
| 67. | राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं | 25 | नियम 28 का उप- |
| | अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 | | नियम(३)(Ⅱ) |
| 68. | राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ | 27 | नियम ३० का उप- |
| 00. | सेवा नियम, 2012 | | नियम(4) |
| | * ** | | |
| 69. | राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा | 27 | नियम ३० का उप- |
| | नियम, 2012 | | नियम(4) |
| 70. | राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और | 27 | नियम 30 का उप- |
| | अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013 | af | नियम(4) |
| 71. | राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ | 28 | नियम 31 का उप- |
| | नियम, 2015 | #U | नियम(4) |
| 72. | राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं | 27 | नियम ३० का उप- |
| | अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 | | नियम(4) |
| 72 | 2 2 | 20 | 2 8 |
| 73. | राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं | 29 | नियम ३२ का उप- |
| | अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 | | नियम(4) |
| 74. | राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं | 30 | नियम ३३ का उप- |
| | अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 | | नियम(4) |
| 75. | राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) | 28 | नियम ३१ का उप- |
| | सेवा नियम, 2019 | | नियम(4) |
| 76. | राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं | 29 | नियम 32 का उप- |
| | अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 | | नियम(4) |
| | | • | |

| 77. | राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 | 29 | नियम 32 का उप- नियम(4) |
|-----|--|-----|---------------------------|
| 78. | राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 | 29 | नियम 32 का उप- नियम(4) |
| 79. | राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955 | 24क | नियम २७क का उप-नियम(४) |
| 80. | राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955 | 23क | , |
| 81. | राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 | 24घ | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 82. | राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960 | 21 | नियम २४क का उप-नियम(४) |
| 83. | राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 | 25 | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 84. | राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम २४क का उप-नियम(४) |
| 85. | राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम २४क का उप-नियम(४) |
| 86. | राजस्थान उद्यान-कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 | 21 | नियम २४क का उप-नियम(४) |
| 87. | राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 | 21 | नियम २४क का उप-नियम(४) |
| 88. | राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप- नियम(4) |
| 89. | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप- नियम(4) |

| A. ⁶ | | | | |
|-----------------|------|--|----|----------------|
| * | 90. | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन | 21 | नियम २५ का उप- |
| | | स्वास्थय शाखा) नियम, 1967 | | नियम(4) |
| * | 91. | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा | 21 | नियम २५ का उप- |
| | | (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 | | नियम(4) |
| | 92. | राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, | 21 | नियम 25 का उप- |
| | | 1968 | | नियम(4) |
| | 93. | राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, | 21 | नियम २५ का उप- |
| | | 1971 | | नियम(4) |
| | 94. | राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा | 21 | नियम २४क का |
| | | नियम, 1973 | | उप-नियम(4) |
| | 95. | राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा | 21 | नियम २४क का |
| | | नियम, 1973 | | उप-नियम(4) |
| 138 | 96. | राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं | 21 | नियम २४क का |
| | | पथ शाखा) सेवा नियम, 1973 | | उप-नियम(४) |
| | 97. | राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, | 21 | नियम २४क का |
| | | 1973 | | उप-नियम(४) |
| | 98. | राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा | 21 | नियम २४क का |
| | | नियम, 1974 | | उप-नियम(४) |
| 55 | 99. | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ | 21 | नियम २४क का |
| | | सेवा नियम, 1974 | | उप-नियम(4) |
| | 100. | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य | 21 | नियम २४क का |
| | | शाखा) नियम, 1974 | | उप-नियम(4) |
| | | | | |
| a | 101. | राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा | 21 | . नियम २४क का |
| | | नियम, 1975 | | उप-नियम(४) |
| (6.1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 102. | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा | 21 | नियम २४क का |
|------|---|----|----------------|
| | (सामान्य शाखा) नियम, 1975 | | उप-नियम(४) |
| 103. | राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, | 21 | नियम २४क का |
| | 1975 | | उप-नियम(४) |
| 104. | राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा | 25 | नियम 28क का |
| | नियम, 1975 | | उप-नियम(४) |
| 105. | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक | 21 | नियम 23क का |
| | शाखा) नियम, 1976 | | उप-नियम(४) |
| 106. | राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा | 21 | नियम 23क का |
| | नियम, 1976 | | उप-नियम(४) |
| 107. | राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, | 21 | नियम 23क का |
| | 1977 | | उप-नियम(४) |
| 108. | राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 | 22 | नियम २४ का उप- |
| | | | नियम(4) |
| 109. | राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, | 17 | . |
| | 1978 | | |
| 110. | राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा | 22 | नियम २४ का उप- |
| | नियम, 1979 | | नियम(4) |
| 111. | राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा | 22 | नियम २४ का उप- |
| | (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979 | | नियम(4) |
| 112. | राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ | 22 | नियम २४ का उप- |
| | सेवा नियम, 1980 | | नियम(4) |
| 113. | राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, | 24 | नियम २६ का उप- |
| | 1989 | | नियम(१क) |
| 114. | राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 | 33 | नियम ३५ का उप- |
| | | | नियम(१क) |
| 115. | राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की | 32 | नियम 35 का उप- |
| | अन्य शर्तें) नियम, २००१ | | नियम(4) |
| | | | |
| | _0 | | |
| | | | |

5

| | | | 17.004 |
|------|--|----|----------------|
| 116. | राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, | 19 | नियम २९ का उप- |
| | होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ | | नियम(4) |
| | सेवा नियम, 2008 | | |
| 117. | राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ | 27 | - |
| | सेवा नियम, 2013 | | |
| 118. | राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, | 26 | नियम 24 का उप- |
| | लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं | | नियम(4) |
| | सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 | | |
| 119. | राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा | 27 | - |
| | नियम, 2015 | | |
| 120. | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा | 29 | _ |
| | (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020 | | |
| 121. | राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 | 33 | नियम 37 का उप- |
| | | | नियम(4) |
| 122. | राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, | 31 | नियम ३३ का उप- |
| | 2021 | | नियम(4) |
| 123. | राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा | 15 | नियम २६ का उप- |
| | नियम, 1970 | | नियम(4) |
| 124. | राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय | 31 | नियम ३३ का उप- |
| | सेवा नियम, 1999 | | नियम(4) |
| 125. | राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा | 19 | नियम २६ का उप- |
| | की अन्य शर्तें) नियम, 1999 | | नियम(4) |
| | | | |

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(रामनिवास महता)

संयुक्त शासन सचिव

9(1)/2023

राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. ७(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16.3.2023

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड(ख) के साथ पिठत अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों और विनियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों और विनियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. संशोधन.- (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियमों और विनियमों के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

-20

- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जनम हुआ हो।
- (v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"
- (2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नित पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नित देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से



अधिक संतानें हों।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्निति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अन्जेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:"

अनुसूची

| क्र.सं. | सेवा नियमों का नाम | विद्यमान | विद्यमान नियम का |
|---------|-------------------------------------|----------|------------------|
| | | नियम का | संख्यांक |
| 8 | z | संख्यांक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित | = | नियम और |
| | स्टाफ) नियम और विनियम, 1991 | | विनियम 12 का |
| | | | उप-नियम(१क) |
| 2. | राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय | 29 | नियम और |
| | तथा अधीनस्थ स्टाफ) नियम और | | विनियम 33 का |
| | विनियम, 1999 | | उप-नियम(१क) |

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

9(11)/2023

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-Gr. II)

No. F. 7(1) DOP/A-II/95/Pt.

Jaipur, dated: 16.3.2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment.- (1) The existing provisos to sub-rule (3), (4) or (5), as the case may be, relating to Disqualification for appointment of person having more than two children of rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
- (v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women."

(2) The existing provision of rule as mentioned in column number 4 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto:-

T6/32023

"No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

SCHEDULE

| S. No. | Name of Service Rules | Number of existing rules | Number of existing rules |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954 | 25B | sub-rule (4) of rule 28B |
| 2. | The Rajasthan Police Service Rules, 1954 | 25C | sub-rule (4) of rule 28A |
| 3. | The Rajasthan Accounts Service Rules, 1954 | 25B | sub-rule (4) of rule 28A |
| 4. | The Rajasthan Inspectors of Registration and Stamps Service Rules, 1954 | 21A | sub-rule (4) of rule 24A |
| 5. | The Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules, 1954 | 21A | sub-rule (4) of rule 24A |
| 6. | The Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954 | 21A | sub-rule (4) of rule 24A |



| 7. | The Rajasthan Service of Engineers (B&R Branch) Rules, 1954 | 21A | sub-rule (4) of rule 24A |
|-----|--|-----|------------------------------|
| 8. | The Rajasthan Cooperative Service Rules, 1954 | 21A | sub-rule (4) of rule 24B |
| 9. | The Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954 | E1 | sub-rule (4) of rule 11B |
| 10. | The Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958 | 20A | sub-rule (4) of rule 21AA |
| 11. | The Rajasthan Labour and Welfare Service Rules, 1958 | 20A | sub-rule (4) of rule 23A |
| 12. | The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules, 1958 | 15B | sub-rule (4) of rule 25A |
| 13. | The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958 | 21A | sub-rule (4) of rule 23A |
| 14. | The Rajasthan Jails Service Rules, 1959 | 20A | sub-rule (4) of rule 23A |
| 15. | The Rajasthan State Insurance and Provident Fund Service Rules, 1959 | 21A | sub-rule (4) of rule 24A |
| 16. | The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960 | 21A | sub-rule (4) of rule 25A |
| 17. | The Rajasthan Employment Exchanges Service Rules, 1960 | 20A | sub-rule (4) of rule 24A |
| 18. | The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960 | 20A | sub-rule (4) of rule 23A |
| 19. | The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960 | 22A | sub-rule (4) of rule 25A |
| 20. | The Rajasthan Industries Service Rules, 1960 | 20A | sub-rule (4) of rule 23A |
| 21. | The Rajasthan Archaeology & Museums Service Rules, 1960 | 21A | sub-rule (4) of rule 24A |
| 22. | The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962 | 20 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 23. | The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 24. | The Rajasthan Forest Service Rules, 1962 | 25A | sub-rule (4) of rule 31A |
| 25. | The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963 | 21 | sub-rule (4) or rule 23A |
| 26. | The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |

| 27. | The Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
|-----|--|-----|-----------------------------|
| 28. | The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 29. | The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 30. | The Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 31. | The Rajasthan Excise (Preventive Officers) Service Rules, 1967 | | sub-rule (4) of rule 17 |
| 32. | The Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 33. | The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 34. | The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971 | 15A | sub-rule (4) of rule 18 |
| 35. | The Rajasthan Architectural Service (P.W.D. & B & R) Rules, 1973 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 36. | The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 37. | The Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974 | le: | sub-rule (4) of rule 11A |
| 38. | The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 39. | The Rajasthan Archives Service Rules, 1975 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 40. | The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 41. | The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976 | 21 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 42. | The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976 | 21 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 43. | The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976 | 21 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 44. | The Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978 | æ | sub-rule (4) of rule 9 |
| 45. | The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 46. | The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |

T6/3/2023

| 47. | The Rajasthan State Enterprises Service Rules, 1979 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
|-----|---|----|-----------------------------|
| 48. | The Rajasthan Transport Service Rules, 1979 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 49. | The Rajasthan Librarians and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980 | - | sub-rule (4) of rule 9 |
| 50. | The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 51. | The Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 52. | The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986 | 21 | sub-rule (1A) of rule 26 |
| 53. | The Rajasthan State Institute of Public Administration Service Rules, 1990 | - | sub-rule (4) of rule 9 |
| 54. | The Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007 | 24 | sub-rule (4) of rule 27 |
| 55. | The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Service Rules, 2008 | 19 | - |
| 56. | The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010 | 26 | sub-rule (4) of rule 29 |
| 57. | The Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010 | 25 | sub-rule (4) of rule 28 |
| 58. | The Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013 | 26 | sub-rule (4) of rule 28 |
| 59. | The Rajasthan Sanskrit (Collegiate Branch) Service Rules, 2022 | 27 | sub-rule (4) of rule 33 |
| 60. | The Rajasthan Legal State and Subordinate Service Rules, 1981 | 26 | sub-rule (4) of rule 28 |
| 61. | The Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981 | 26 | sub-rule (4) of rule 28 |
| 62. | The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992 | 27 | sub-rule (4) of rule 30 |
| 63. | The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997 | 23 | sub-rule (4) of rule 26 |
| 64. | The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998 | 25 | sub-rule (4) of rule 28 |
| 65. | The Rajasthan Integrated Child Development State and Subordinate Service Rules, 1998 | 25 | sub-rule (4) of rule 28 |
| 66. | The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000 | 25 | sub-rule (4) of rule 28 |

16/3/2023

| 67. | The Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001 | 25 | sub-rule (3)(II) of rule 28 |
|-----|---|-----|-----------------------------|
| 68. | The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012 | 27 | sub-rule (4) of rule 30 |
| 69. | The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012 | 27 | sub-rule (4) of rule 30 |
| 70. | The Rajasthan Language and Library(State and Subordinate) Service Rules, 2013 | 27 | sub-rule (4) of rule 30 |
| 71. | The Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015 | 28 | sub-rule (4) of rule 31 |
| 72. | The Rajasthan Excise Laboratory (State and Subordinate) Service Rules, 2015 | 27 | sub-rule (4) of rule 30 |
| 73. | The Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Service Rules, 2017 | 29 | sub-rule (4) of rule 32 |
| 74. | The Rajasthan Minority Affairs (State and Subordinate) Service Rules, 2017 | 30 | sub-rule (4) of rule 33 |
| 75. | The Rajasthan Bio-fuel (State and Subordinate) Service Rules, 2019 | 28 | sub-rule (4) of rule 31 |
| 76. | The Rajasthan Circuit Houses (State and Subordinate) Service Rules, 2019 | 29 | sub-rule (4) of rule 32 |
| 77. | The Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021 | 29 | sub-rule (4) of rule 32 |
| 78. | The Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021 | 29 | sub-rule (4) of rule 32 |
| 79. | The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) rules, 1955 | 24A | sub-rule (4) of rule 27A |
| 80. | The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-II) Rules, 1955 | 23A | - |
| 81. | The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956 | 24D | sub-rule (4) of rule 28A |
| 82. | The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 83. | The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963 | 25 | sub-rule (4) of rule 28A |
| 84. | The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 85. | The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |

16/3/2023

| 86. | The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
|------|---|----|-----------------------------|
| 87. | The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 88. | The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 89. | The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 90. | The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 91. | The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 92. | The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 93. | The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971 | 21 | sub-rule (4) of rule 25 |
| 94. | The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 95. | The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 96. | The Rajasthan Subordinate Engineering (B & R Branch) Service Rules, 1973 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 97. | The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 98. | The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 99. | The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 100. | The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 101. | The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 102. | The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| 103. | The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975 | 21 | sub-rule (4) of rule 24A |
| | | | |

| 104. | The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975 | 25 | sub-rule (4) of rule 28A |
|------|--|----|-----------------------------|
| 105. | The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976 | 21 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 106. | The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976 | 21 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 107. | The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977 | 21 | sub-rule (4) of rule 23A |
| 108. | The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 109. | The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978 | 17 | - |
| 110. | The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 111. | The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 112. | The Rajasthan Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980 | 22 | sub-rule (4) of rule 24 |
| 113. | The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989 | 24 | sub-rule (1A) of rule 26 |
| 114. | The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998 | 33 | sub-rule (1A) of rule 35 |
| 115. | The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001 | 32 | sub-rule (4) of rule 35 |
| 116. | The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Subordinate Service Rules, 2008 | 19 | sub-rule (4) of rule 29 |
| 117. | The Rajasthan Madarsa Education Assistant Subordinate Service Rules, 2013 | 27 | = |
| 118. | The Rajasthan Scheduled Area Subordinate Ministerial and Class IV (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014 | 26 | sub-rule (4) of rule 29 |
| 119. | The Rajasthan Vidhyalay Sahayak Subordinate Service Rules, 2015 | 27 | - |
| 120. | The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 2020 | 29 | - |
| 121. | The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015 | 33 | sub-rule (4) of rule 37 |

+6/3/2023

| 122. | The Rajasthan Home Guards Subordinate Service Rules, 2021 | 31 | sub-rule (4) of rule 33 |
|------|--|----|----------------------------|
| 123. | The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970 | 15 | sub-rule (4) of rule 26 |
| 124. | The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999 | 31 | sub-rule (4) of rule 33 |
| 125. | The Rajasthan Class IV Service(Recruitment and other service Conditions) Rules, 1999 | 19 | sub-rule (4) of rule 26 |

By order and in the name of the Gevernor,

(Ram Niwas Mehta)

Joint Secretary to the Government.

9(i)/2023

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-Gr. II)

No. F. 7(1) DOP/A-II/95/Pt.

Jaipur, dated: 16.3.2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Various Service Rules and Regulations as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
- 2. Amendment.- (1) The existing provisos to rules and regulations relating to Disqualification for appointment of person having more than two children as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.
- where a candidate has only one child from earlier delivery but more than (ii) one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- any candidate who performed remarriage which is not against any law (iv) and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
- the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment (v)of a widow and divorcee women."

(2) The existing provision of rule and regulations as mentioned in column number 4 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto:-

1613/2023

"No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

SCHEDULE

| S. No. | Name of Service Rules | Number of existing rules | Number of existing rules |
|-----------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | The Rajasthan Public Service Commission (Gazetted Staff) Rules and Regulations, 1991 | - | sub-rule (1A) of rule and regulation 12 |
| 2. | The Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Staff) Rules and Regulations, 1999 | 29 | sub-rule (1A) of rule and regulation 33 |

By order and in the name of the Governor,

(Ram Niwas Mehta)

Joint Secretary to the Government.

9(11)/2023

राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक / क-2 / 95पार्ट

जयपुर, दिनांकः

24/05/2023

1 समस्त अति० मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।

2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के द्वारा विविध सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि किसी कार्मिक के 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर उसकी पदोन्तित पर 5 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 19.09.2017 के द्वारा 5 भर्ती वर्षों के स्थान पर 3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किये जाने का संशोधित प्रावधान किया गया जो दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हैं।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध) के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:—

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

उपर्युक्त प्रावधानान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/राय प्राप्त करने हेतु इस विभाग में प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

1. ऐसा कार्मिक जिसके 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नित पर वर्ष 2019—20 तक विचार नहीं किया गया था, का आशय यह लिया जा रहा है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नित, संतान की संख्या के आधार पर 5 भर्ती वर्ष अथवा 3 भर्ती वर्ष पश्चात वर्ष 2019—20 से पूर्व की जा चुकी है, उनकी पदोन्नित नियत देय तिथि से रिव्यू डीपीसी के माध्यम से की जानी है अथवा नहीं?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नित अधिसूचना दिनांक 20.06. 2001 अथवा 19.09.2017 के क्रम में 5 वर्ष /3 वर्ष का दण्ड दिया जाकर वर्ष 2019—20 तक पदोन्नित

शैक्षिक समाचार राजस्थान

की जा चुकी है, उन कार्मिकों की पदोन्नित भी उस तारीख से रिव्यू डीपीसी की जाकर की जावेगी, जिस तारीख को उसकी पदोन्नित नियत तिथि को देय हो गई थी और उसका वेतन ऐसी पदोन्नित पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता, पुनः नियत किया जायेगा, किन्तु कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. कई विभागों द्वारा यह प्रश्न उठाये गये हैं कि उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अधिसूचना से पूर्व के प्रकरणों में रिव्यू डीपीसी की जावें।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नित संतानों की संख्या के आधार पर दण्ड का प्रभाव डालते हुए नियत तिथि के पश्चात बाद में प्रदान की गई है, अब विद्यमान प्रावधान के अनुसार पदोन्नित में दण्ड का प्रभाव नहीं देते हुए, पदोन्नित नियत तिथि से देय होगी तथा इस कारण पूर्व विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिशों को रिव्यू किया जाना आवश्यक है।

3. यदि ऐसे कार्मिकों की रिव्यू डीपीसी की जानी है तो प्रत्येक प्रकरण में पदोन्नित हेतु छाया पद स्वीकृत करवाने की कार्यवाही किस विभाग द्वारा की जावेगी?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नितयों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को इस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित (Demote) नहीं किया जावेगा। जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय दो से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नित से वंचित कर दिया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नित देने की कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से उनके लिये छाया पद स्वीकृत करवाना होगा। तत्पश्चात पदोन्नित दिये जाने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमित हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष / नियुक्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 एवं उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

> (हेमन्त कुमार गेरा) प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
- 2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
- 6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
- 7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार

फोन न0 0151-2970655

स्कुल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकाने कायोलय संयक्त निदेशक,

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर संभाग।

अति–आवश्यक

विषय:- दिनांकः 01.06.2022 अथवा उसके पश्चात 02 से अधिक संतानोत्पति के फलस्वरूप पूर्व में प्रभावी नियमों में विहित प्रावधानों के कारण पदोन्नति से वंचित रहने वाले अथ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायकों की डीपीसी का कार्य सम्पादित किया जाता है कार्मिक (क-ग्रूप-2)विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1) कार्मिक / क-2 / 95 / पार्ट दिनांक 16.03.2023 के द्वारा संबंधित सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण पूर्व में पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया था, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय हाजा स्तर पर सम्पन्न की जाने वाली डीपीसी के पदों से संबंधित ऐसे व्यक्ति, जिन्हें कार्यालय हाजा स्तर पर दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने सम्बंधी सुचना उपलब्ध नहीं होने कारण, उनका डीपीसी से चयन कर पदोन्नति प्रदान कर दी गई हो, एवं पदोन्नति आदेश में 02 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं करने सम्बंधी निर्देशों के कारण उन्हें उक्त पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं किया गया हो एवं विभाग द्वारा उनका पदोन्नति परित्याग मानते हुए आगामी दो भर्ती वर्ष पश्चात् पुनः डीपीसी में चयन कर पदोन्नति प्रदान किये जाने पर उनके द्वारा कार्यग्रहण किया गया हो। ऐसे व्यक्तियों की सूचना कार्यालय हाजा स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं उक्त प्रावधान की क्रियान्विति के सम्बंध में आगामी कार्यवाही करने हेत संबंधित व्यक्तियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 15 दिवस के भीतर आपके कार्यालय के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को संकलित कर आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं का परीक्षण कर उक्त आवेदन कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 05.06.2023 तक वाहक स्तर पर भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न :- निर्धारित प्रारूप।

(राजकुमार शर्मा) संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।

क्रमांक— संनि / स्कूल शिक्षा / बीका / बीकानेर / डीपीसी / विविध / 2023 / 56 दिनांक: 25/05/2023 प्रतिलिपि :- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि व0310 / मंत्रालयिक संवर्ग की उक्त सूचनाएं अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करते हुए दिनांक 07.06.2023 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय हाजा को प्रेषित करवावें। तथा समय–समय पर इसका प्रबोधन एवं प्रचार–प्रसार करें। इसें सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

RajKaj Ref No.: 3907592

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,बीकानेर संभाग, Signature⊪**y**alıd

Digitally signed by Rajl umar Sharma Designation Deput Director Date: 2023.05.25 3:53:17 IST Reason: Approved



आवेदन का निर्धारित प्रपत्र

| क्रसं | संतान का नाम | लिंग | जन्मतिथि |
|----------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| <u> </u> | | <u> </u> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 5 | 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |

Signature valid

Digitally signe dilay Rail umar Sharma a a live Designation Deput Director Date: 2023-05-85 3:53:17 IST Reason. Approved

RajKaj Ref No. : 3907592





हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

| S.N | GROUP NAME | JOIN GROUP |
|-----|--------------------|------------|
| 1 | TWITTER | CLICK HERE |
| 2 | FACEBOOK | CLICK HERE |
| 3 | WEBSITE (RAJGYAN) | CLICK HERE |
| 4 | TELEGRAME | CLICK HERE |
| 5 | TELEGRAME SAMADHAN | CLICK HERE |

